6.9.21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।
मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तहसीलदार माण्डल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम लिरड़िया पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थीगण के पिता नन्दा के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2075-2078 की नकल से होती है। प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधि
मांडल जिला भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पिता का नाम नन्दा न होकर गुलाब दरोगा सही है। जिसकी ताईद मे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि की फोटो प्रति पेश की है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम गुलाब दरोगा है। उसी अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित करवाना चाहते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थनापत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ. अत:

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.T.A. तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम लिराड़िया पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल मे स्थित खाता सं० 37 मे अंकित आराजी नं. 526, 527, 900, 901, 913 कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा व खाता सं 302 मे अंकित आराजी नं. 526, 527 कुल किता 02 रकबा कुल 0.6323 हे० एवं खाता सं. 45 मे अंकित आराजी नं० 900, 901, 913 कुल किता 03 कुल रकबा 2.2511 हे० भूमि व खाता सं. 82 मे आराजी नं. 955/2251 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0749 हे० भूमि मे अंकित राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम नन्दा दरोगा के बजाय गुलाब दरोगा राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा